निग -1095 - II-16

(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

1– बाबादीन तनय श्री लक्ष्मन अहिरवार
2– रामदयाल तनय फद्दू ब्राहमण
निवासीगण–ग्राम मोराहा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 5.4.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– लखनलाल पटेल पुत्र श्री श्यामलाल पटेल
2– स्वामी प्रसाद पुत्र श्री मोतीलाल पटेल
निवासीगण–ग्राम मोराहा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 78 अ–6–अ/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम मोराहा में स्थित भूमि खसरा नं. 1158 रकवा 18.85 एकड़ पूर्व में म.प्र. शासन के नाम दर्ज थी। जिसमें से खसरा नं. 1158/2 रकवा 3.583 है0 भूमि आवेदकगण के नाम दिनांक 02.10.1959 के पूर्व यानि संहिता प्रवृत होने के पूर्व भूमि स्वामी स्वत्व पर शामिल खाते दर्ज होकर सम्वत् 2018 में दर्ज रहीं जिसकी नौइयत गैर हकदार के रूप में अभिलेखानुसार दर्ज रहीं। जिसमें आवेदकगण को एवं उसमें खातेदार शामिल को गैर हकदार से भूमि स्वामी वर्ष 1974–75 की प्रवृष्टि क्रमांक 17/233 को प्रमाणित तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 12.09.1975 को करते हुये निगरानीकर्ता की शामिल खाते की भूमि का भूमि स्वामी घोषित किया गया।

2– यहकि, उपरोक्त प्रविष्टी के अनुसार पटवारी द्वारा निगरानी कर्ता एवं उसके हकदार को खसरा में अंकित न करते हुये भूमि म.प्र. शासन अंकित अभिलेख में रही। जिसके सुधार हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे निराकृत करने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर के प्रत्यावर्तित किया गया। उनके द्वारा पटवारी से रिपोर्ट लेकर तथा स्वतः स्थल निरीक्षण करते हुये प्रकरण क्रमांक 36/अ–6–अ/2007–08 पंजीबद्ध कर आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1095/दो/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.4.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 78/अ–6–अ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम मोराहा में स्थित भूमि खसरा नं. 1158 रकवा 18.85 एकड़ पूर्व में म.प्र. शासन के नाम दर्ज थी जिसमें खसरा नं. 1158/2 रकवा 3.583 है0 भूमि आवेदकगण के नाम दिनांक 02.10. 1959 के पूर्व यानि संहिता प्रवृत्त होने के पूर्व भूमि स्वामी स्वत्व शामिल खाते दर्ज होकर सम्बत् 2018 में दर्ज रही। जिसकी नोईयत गैर हकदार के रूप में अभिलेखानुसार दर्ज रही। जिसमें आवेदकगण को एवं उसके शामिल खातेदार को गैर हकदार से भूमि स्वामी वर्ष 1974–75 की पृविष्टी क्रमांक 17/233 को प्रमाणित तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.09.1975 को करते हुये निगरानी कर्ता की शामिल खाते की भूमि का भूमि स्वामी घोषित किया गया। उपरोक्त प्रवृष्टी के अनुसार पटवारी द्वारा निगरानी कर्ता एवं उसके हकदार को	

खसरा में अंकित न करते हुये भूमि म.प्र. शासन अंकित अभिलेख में रही जिसे सुधार हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे निराकृत करने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर को प्रत्यावर्तित किया गया तत्पश्चात् पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर स्वंय स्थल निरीक्षण करते हुये तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 36/अ-6-अ/2007-08 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 29.03.2008 को पारित करते हुये राजस्व अभिलेखो में पूर्व की भांति आवेदकगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। अनावेदकगण द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 17/233 वर्ष 1974-75 में पारित आदेश दिनांक 12.09.1975 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायालय में पेश की गयी जो आदेश दिनांक 15.03.2016 से स्वीकार कर नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 12.09.1975 एवं अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2008 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की और से उठाये गये तथ्यो पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत अपील में उठाये गये आधार एवं प्रार्थना खण्ड का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी है वह नामान्तरण पंजी क्रमांक 17/233 वर्ष 1974-75 में पारित आदेश दिनांक 12.09.1975 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी। किन्तु आदेश में अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2008 निरस्त किया गया है जबकि इस संबंध में कोई अपील अथवा प्रार्थना ही नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का आदेश अधिकारिता रहित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायालय में जो अपील अनावेदक की ओर से प्रस्तुत की गयी थी वह स्पष्टतः अवधि वाह्य थी एवं प्रचलन योग्य नहीं थी। जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 02.02.2012 पारित किया था जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 591-दो/2012 प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बुलाये जाने का आदेश दिया गया था। किन्तु इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेख न भेजकर जो आदेश दिनांक 15.03.2016 को पारित किया गया वह माननीय न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवमानना है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा तर्को में यह बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्टतः अवधि बाह्य थी जो प्रचलन योग्य ही नहीं थी। जिसपर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त भूमि के संबंध में नजूल अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 16.05.2012 से भूमि नजूल घोषित की गयी जिसे कलेक्टर (नजूल) छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2014 से भूमि खसरा नं. 1158/2 रकवा 3.583 है0 विलोपित करने की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रदान की गयी थी जिसके पश्चात् जॉच कर आदेश दिनांक 26.09.2014 पारित किया गया था जिसपर विचार किये बिना जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 निरस्त कर नामान्तरण पंजी क्रमांक 17/233 वर्ष 1974-75 में पारित आदेश दिनांक 12.09.1975 एवं अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ-6-अ/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2008 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5- आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 02.02.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरनी प्रकरण प्रकरण क्रमांक 591-दो/2012 प्रस्तुत

किया गया था। जो ग्राह्य किया जाकर अभिलेख बुलाये जाने का आदेश दिया गया था जिसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को दी गयी थी किन्तु उनके द्वारा अपने न्यायालय का प्रकरण राजस्व मण्डल में न भेजकर जो आदेश पारित किया है वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं होने एवं न्यायालय की अवमानना में होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्टतः अवधि बाह्य थी जिसके संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया जबकि 1992 आर.एन. 289 में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – व्याप्ति अधिकारिता की प्रकृति–वैवेकिक है पक्षकार विलंब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है–पर्याप्त कारण का सबूत–अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव शर्त है न्यायालय अपनी अंतनिर्हित शाक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वार विहित परिसीमा की कलावधि नहीं बढ़ा सकता। चूकि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा परिसीमा के बिन्दु पर कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया। इस प्रकरण में कलेक्टर (नजूल) जिला छतरपुर द्वारा आदेश दिनांक 09.09.2014 पारित कर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रकरण में विधिवत् जॉच कर अभिलेख को अद्यतन कराये जाने के आदेश दिये थे जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 26.09.2014 से प्रश्नाधीन खसरा नं. की

कैफियत के कॉलम में बाह्य नजूल दर्ज प्रवृष्टि विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को उपरोक्त आदेश के पश्चात् कोई कार्यवाही करने का अधिकार हीं नहीं था। उक्त भूमि गैर हकदार के रूप में दर्ज थी जिसमें वर्ष 1958 के पूर्व आवेदकगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिसके संबंध में हल्का पटवारी द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर आवेदकगण का नाम आदेश दिनांक 12.09.1975 को उक्त खातेदारो को गैर हकदार से भूमि स्वामी घोषित किया गया था। इस तथ्य पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है अतः ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 78/अ-6-अ/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं नामान्तरण पंजी क्रमांक 17/233 वर्ष 1974-75 में पारित आदेश दिनांक 12.09.1975 एवं अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ-6-अ/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2008 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है तथा आवेदकगण का नाम पूर्ववत् भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना आदेशित किया जाता है।

सदस्य